

संदर्भ:पावरग्रिड/उ.क्षे.-1/आर. टी. आई./2306/451

दिनांक:21.03.2024

सेवा में,

श्री मनोहर मिरोठा एडवोकेट,
सीट न. 30, जिला न्यायालय गुना (MP)
Reg.MP/263/2019 Mob. 9755299851

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2024 के संदर्भ में |

महोदय,

आपके आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2024 जो कि पावरग्रिड बागपत कार्यालय में दिनांक 18.03.2024 को प्राप्त हुआ के तहत आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपने श्री उदयवीर सिंह पुत्र श्री रमेश जाटव (टेक्नीशियन) की सम्पूर्ण जानकारी चाही है। बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न.	मांगी गई जानकारी	पावरग्रिड द्वारा दी गई जानकारी
1.	जिस पद पर कार्यरत है कि सम्पूर्ण जानकारी	टेक्नीशियन (Technician) के पद पर
2.	नियुक्ती पत्र की प्रमाणित प्रति	बिंदु न. 2 एवं 3 के अनुसार मांगी गई जानकारी आर.
3.	वेतन भत्ते और अन्य मिलने वाली सुविधा की सम्पूर्ण जानकारी, वेतन कि बैंक के खाते में भेजी जाती है कि जानकारी	टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (g), 8(1) (j) एवं 11(1) के तहत छूट प्राप्ति के दायरे में है इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा,
कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,
SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,
फोन न. 0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय



[उपेन्द्र सिंह]

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना एवं अभियांत्रिकी)
एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ., पावरग्रिड, उ. क्षे. -1
फोन न.0129-2666305